

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण हरदा जिला—हरदा (म०प०)

क्रमांक 251 /सू.अधि./डूडा/2010

हरदा,दिनांक 28/05/2010

प्रति ,

कलेक्टर

जिला—हरदा।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी बाबत।

संदर्भ :- जस्स बैठक दिनांक 24/05/2010 को श्रीमान के द्वारा दिये गये निर्देश।

---:00.0.00:---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत विभाग की जानकारी 17 बिन्दुओं में तैयार कर मय सी.डी. के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- सी.डी. 01
जानकारी 1 सेट (17 बिन्दु)


परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला हरदा

कार्यालय
जिला शहरी विकास अभिकरण
हरदा (म0प्र0)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
वर्ष 2009–2010

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, हरदा (म0प्र0)
प्रपत्र-1 (क)

लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा



कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्य एवं कर्त्तव्य

क्रं.	कर्मचारी का नाम	विभाग	कार्य
1	2	3	4
1	श्री हरिशंकर शर्मा रा.उप.निरीक्षक एवं सहायक परियोजना अधिकारी	योजना शाखा	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं समय-समय पर निर्देशित कार्य।
2	श्री शैलेन्द्रसिंह अरोरा सहायक ग्रेड-3	लेखा शाखा, स्थापना, टाईपिंग, आवक-जावक	लेखा एवं स्थापना, टाईपिंग कार्य, समस्त पत्रों का आवक-जावक स्टोर संबंधी कार्य समस्त घटकों की निधि आवंटित संबंधी कार्य व समय- समय पर निर्देशित अन्य कार्य

नोट :- उपरोक्त कर्मचारी नगरपालिका, हरदा में पदस्थ होकर निकाय के कार्यों के साथ-साथ जिला शहरी विकास अभिकरण में अतिरिक्त प्रभार के रूप में पदस्थ है।

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम, शक्तियों एवं कर्तव्य तथा परिलब्धियाँ (वेतन आदि) संबंधी जानाकारी

क्रं.	पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का नाम	पदनाम	शक्तियाँ एवं कर्तव्य	परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5
1	श्रीमति श्वेता पंवार	परियोजना अधिकारी	आहरण एवं संवितरण के अधिकार कार्यालय प्रमुख के वे पूर्ण अधिकार जो शासन द्वारा कार्यालय प्रमुख को प्रदत्त है।	कार्यालय कलेक्टर हरदा द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है।
2	श्री हरिशंकर शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी	कार्यालय प्रमुख के अवकाश एवं भ्रमण के समय उनकी अनुपस्थिति में सामान्य कार्य का निर्वाहन करना।	नगरपालिका हरदा द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है।


नोट :-

- 1- परियोजना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ होकर जिला शहरी विकास अभिकरण हरदा में अतिरिक्त रूप में कार्य संपादित कर रही है। इनके वेतन का भुगतान कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा द्वारा किया जाता है।
- 2- सहायक परियोजना अधिकारी नगरपालिका हरदा में पदस्थ होकर अतिरिक्त रूप में कार्य रहे है। इनके वेतन का भुगतान नगरपालिका हरदा द्वारा किया जाता है।

कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया

(नस्ती प्रारंभ किये जाने से लेकर अंतिम निर्णय तक)

जिसे फ्लोचार्ट (रेखांचित्र) की सहायता से दर्शाया है



निगरानी / पर्यवेक्षक की व्यवस्था

कार्यालय में निगरानी एवं पर्यवेक्षण
कार्यालय प्रमुख परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है।

जबाबदेही निर्धारण की व्यवस्था

कार्यालय की जवाबदेही का निर्धारण
परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है।

कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा / विधी मापदंड

गुणवत्ता संबंधी मापदण्ड शासन स्तर से किया जाता है।

कार्य कलापों एवं दायित्वों के निर्वहन में प्रयुक्त अधिनियम का संक्षिप्त विवरण

जिला शहरी विकास अभिकरण हरदा का म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत शासन निर्देशों के तहत पंजीयन किया गया है। जिसकी नियमावली के अनुसार शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का नगरीय निकायों के माध्यम से सर्वेक्षण/सर्वेक्षित परिवारों को गरीबी रेखा से उन्नयन हेतु योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन नगरीय निकायों के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों को लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना। सर्वेक्षित परिवारों के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार, स्थापित करने हेतु ऋण/अनुदान उपलब्ध कराना/व्यवसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना आदि।

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले

विभिन्न अभिलेखों की सूची

कार्यालय से संबंधित योजनाओं की नस्तियाँ संधारित की जाती हैं, तथा लेखा पंजी, चेक नस्ती, आवक-जावक पंजी एवं लेखा अंकेक्षण आदि संधारित की गयी हैं।

कार्यालय से संबंधित समिति जिनमें जन प्रतिनिधियों एवं शासकीय विभागों के प्रतिनिधि से परामर्श प्राप्त कर क्रियान्वयन होता है।

जिला शहरी विकास अभिकरण की प्रबंध मंडल समिति है। (गवर्निंग बॉडी)

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, हरदा

योजना शाखा के अंतर्गत संचालित नस्तियों एवं अभिलेखों की जानकारी

- 1- स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम की नस्ती।
- 2- शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (ऋण एवं अनुदान) की नस्ती।
- 3- शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि) की नस्ती।
- 4- स्वर्ण जयंती शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की नस्ती।
- 5- कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) की नस्ती।
- 6- अधोसंचनात्मक घटक मद संबंधी नस्ती।
- 7- स्थानीय निकायों का सुदृढीकरण संबंधी नस्ती।
- 8- सामुदायिक विकास नेटवर्क संबंधी नस्ती।
- 9- सूचना शिक्षा तथा संचार संबंधी नस्ती।

अधिकारी)

प्रभारी
एच.एस. शर्मा
(सहायक परियोजना

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, हरदा

लेखा / स्थापना एवं अन्य अभिलेख

- 1- केश बुक
- 2- चेक पंजी
- 3- आवंटन पंजी
- 4- डाक टिकट रजिस्टर
- 5- वाउचर पंजी
- 6- सामुदायिक संगठनों के वेतन नस्ती
- 7- बैंक नस्ती
- 8- सी.ओ. के स्थापना संबंधी नस्ती
- 9- सिटीजन चार्टर सूचना के अधिकार संबंधी नस्ती
- 10- पी.ओ.डूडा संबंधी नस्ती
- 11- शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदान संबंधी नस्ती
- 12- शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (ऋण एवं अनुदान) में दिये जाने वाले अनुदान संबंधी नस्ती
- 13- आवक-जावक पंजी
- 14- शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि) अंतर्गत आवंटन नस्ती
- 15- स्टोर रजिस्टर पंजी
- 16- कौशल प्रशिक्षण
- 17- अंकेक्षण नस्ती
- 18- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी मजदूरी अधोसंरचनात्मक सहायता स्थानीय निकायों का सुदृढीकरण, सामुदायिक विकास नेटवर्क , सूचना शिक्षा तथा संचार तथा अन्य समस्त योजना के भुगतान संबंधी नस्ती।

प्रभारी
शैलेन्द्रसिंह अरोरा
लिपिक

कार्यालय के अंतर्गत आने वाले समिति के सदस्यों की सूची

अ.क्र.	कलेक्टर	अध्यक्ष
1-	विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी	:: पदेन अध्यक्ष
2-	जिले की नगरीय निकायों अध्यक्ष / मुख्य नगरपालिका अधिकारी	:: पदेन सदस्य
3-	जिला अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि	:: पदेन सदस्य
4-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य	:: पदेन सदस्य
5-	नगरीय क्षेत्रों में गरीबों की भलाई में लगी अशासकीय संस्था का एक प्रतिनिधि एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति व जनजाति के एक एक प्रतिनिधि ::	पदेन सदस्य
6-	माननीय सांसद एवं विधायक	:: मनोनित सदस्य
7-	परियोजना अधिकारी	:: मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजित की निर्देशिका

क्रमांक	पदाधिकारी कर्मचारी का नाम	पद	पता	दूरभाष नम्बर
1	2	3	4	5
1	श्रीमति श्वेता पंवार	परियोजना अधिकारी	एफ-8 सिविल लाईन हरदा	कार्यालय 07577-225003
2	श्री हरिशंकर शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी	बड़ी सिंधी कालोनी हरदा	कार्यालय 07577 222238
3	श्री शैलेन्द्रसिंह अरोरा	लेखा प्रभारी / लिपिक	वार्ड क्रमांक 1 पानी की टंकी हरदा	कार्यालय 07577 222238
4	श्रीमति शारदा पांडे	सामुदायिक संगठक टिमरनी	न्यू एल.आई.जी. 73 गुर्जर बोर्डिंग के पास हरदा	9826675223
5	श्रीमति शिखा दुबे	सामुदायिक संगठक टिमरनी	अग्रवाल भवन रोड़ के पास वार्ड क्रमांक 12 टिमरनी	9981184071
6	श्रीमति कमलेश पाराशर	सामुदायिक संगठक टिमरनी	आनंद नगर वार्ड क्रमांक 08 खिरकिया	07571 251525

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजित की निर्देशिका

अ. क्र.	पदाधिकारी कर्मचारी का नाम	पद	मासिक उपलब्धि वेतन महंगाई	विनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति			वेतनमान	रिमार्क
				गृह भाड़ा	मेडिकल भत्ता	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमति श्वेता पंवार	पी.ओ.	-	-	-	-	-	कार्यालय कलेक्टर हरदा से वेतन भुगतान किया जाता है।
2	श्री हरिशंकर शर्मा	ए.पी. ओ.	-	-	-	-	-	नगरपालिका हरदा से वेतन भुगतान किया जाता है।
3	श्री शैलेन्द्रसिंह अरोरा	एल.डी. सी.	-	-	-	-	-	तदैव
4	श्रीमति शारदा पांडे	सा. संगठक	4500	-	-	-	निश्चित मानदेय	जि.श.वि.अभि. हरदा से भुगतान किया जाता है।
5	श्रीमति शिखा दुबे	सा. संगठक	4500	-	-	-	तदैव	तदैव
6	श्रीमति कमलेश पाराशर	सा. संगठक	4500	-	-	-	तदैव	तदैव

**कार्यालय एवं उसके अंतर्गत आने वाली एजेंसियों के लिए
आवंटन एवं व्यय की जानकारी**

अ.क्र.	मद	पूर्व की शेष राशि	वर्ष 2009-10	
			प्राप्त राशि	व्यय
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	3.76	10.54	14.30
2	कौशल प्रशिक्षण	6.31	15.16	17.29
3	अधोसंरचनात्मक सहायता मद	1.96	—	1.96
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	10.77	15.89	26.66
5	शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (ऋण एवं अनुदान)	1.91	5.72	2.28
6	शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि)	9.73	7.27	1.11
7	सामुदायिक नेटवर्क विकास	11.39	2.91	14.30
8	सूचना शिक्षा एवं संचार	2.76	2.45	4.66
9	स्थानीय निकायों का सुदृढीकरण	1.53	0.50	1.03
10	प्रशासकीय व्यय	6.06	2.60	1.01
	योग	56.18	62.54	84.60

हितग्राही मूलक एवं अनुदान परक योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी

अ. क्र.	कार्यक्रम का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	वर्ष 2009-10 (राशि लाख में)		
			प्राप्त आवंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हितग्राहियों द्वारा नगरीय निकायों में प्रस्तुत आवेदनों पर टास्क फोर्स समिति की बैठक में चयन/चयन उपरांत प्रकरण निकायों द्वारा राष्ट्रीय बैंकों को प्रेषित किया जाता है। बैंक स्वीकृति के आधार पर बैंक की मांग अनुसार बैंकों को अनुदान राशि हितग्राहियों को दिये जाने हेतु जारी की जाती है।	10.54	14.30	113
2	शहरी स्वरोजगार (प्रशिक्षण) कार्यक्रम	शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हितग्राहियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण 2-6 माह दिये जाने का प्रावधान/निकाय (सा.वि.स.) द्वारा इच्छुक हितग्राहियों के आवेदन में प्रस्तुत जि.श. वि.अभि. में प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षण उपरांत स्वीकृति।	15.16	17.29	232
3	शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (ऋण एवं अनुदान)	शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 5 महिलाओं के समूह को नगरीय निकाय की टास्क फोर्स समिति में चयन उपरांत एवं सहकारी बैंक की स्वीकृति एवं मांग के आधार पर अनुदान दिया गया।	5.72	2.28	03 समूह
4	महिला शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि)	शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली 5 से 25 महिला के समूह जिसने 1 वर्ष तक निश्चित राशि प्रतिमाह नियमित रूप से जमा की हो, ऐसे समूह को नियमानुसार आवर्ती निधि दिये जाने का प्रावधान है।	7.27	1.11	11 समिति

नियमों के अंतर्गत छूट या परमिट का कोई प्रावधान इस कार्यालय में नहीं है।
यदि ऐसी सुविधा प्राप्त होती है तो आम नागरिकों को इसकी सुविधा दी जावेगी।

---- जानकारी निरंक ----

कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक फार्म में कोई जानकारी अभी नहीं रखी है, आगे
इसके प्रयास किये जावेंगे।

---- जानकारी निरंक ----

आम नागरिक द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं
सहायक लोक सूचना अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकेगा।

लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम तथा अन्य

क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नम्बर	ई-मेल पता	कार्यालय का पता	मिलने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमति श्वेता पंवार लोक सूचना अधिकारी	परियोजना अधिकारी	07577-225003	-	कलेक्टर कार्यालय हरदा	10:30-1:30 दिन बुधवार, गुरुवार
2	हरिशंकर शर्मा सहायक लोक सूचना अधिकारी	सहायक परियोजना अधिकारी	07577-222238	-	जिला शहरी विकास अभिकरण (नगरपालिका कार्यालय भवन हरदा)	10:30-1:30 दिन बुधवार, गुरुवार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी जानकारी नागरिक जिला शहरी विकास अभिकरण हरदा द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदन को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है। जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला – हरदा

